


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

देवीलाल बनाम इन्द्रराज

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 40/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>देवीलाल</u> पिता श्री <u>परशू बीजा</u></p> <p>निवासी <u>नलरा हाम मु. गिमुड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नलरा (प. ६३६मु. ३)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>10, 11, 12, 2, 23, 26, 27, 29, 3, 30</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> कुल रकबा <u>2-2900</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नलरा (प. ६३६मु. ३)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>10, 11, 12, 2, 23, 26, 27, 29, 3, 30</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> रकबा <u>2-2900</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास (₹ 1500)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>